

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

मांक रीडर/2025/7021
प्रार्थीगण

1 सवाईसिंह 2 नरपतसिंह
पिसरान सगतसिंह 3
उगमकंवर पत्नि सगतसिंह
जातियान राजपूत निवासी
मंगलसिंह जालप की ढाणी
तहसील बाडमेर ग्रामीण
जिला बाडमेर।

बनाम

अप्रार्थीगण
1 पुजराजसिंह 2 कपुरसिंह 3 कानसिंह पिसरान
जेठमालसिंह 4 शैरसिंह पुत्र माधूसिंह माधूसिंह 5 रूगसिंह
पुत्र आईदानसिंह 6 इन्द्रसिंह पुत्र ईश्वरसिंह 7 स्वरूपसिंह
पुत्र कमलसिंह 8 गिरधरसिंह पुत्र जबरसिंह 9 लालसिंह
पुत्र माधूसिंह जातियान राजपूत 10 कुंता कंवर पत्नि
वेरिसालसिंह 11 हमीरसिंह पुत्र माधूसिंह 12 शैतानसिंह
पुत्र जबरसिंह 13 पदमसिंह पुत्र दानसिंह जातियान
राजपूत 14 नवलाराम पुत्र रावताराम 15 प्रेमप्रकाश पुत्र
ताजाराम 16 बन्नुदेवी पत्नि चौखाराम 17 भीयाराम पुत्र
सुखाराम जातियान जाट 18 बाबूखा पुत्र फजलाखा 19
सरूपा पुत्र रमजान 20 नरसीराराम पुत्र कलाराम जाति
सुथार निवासी पुरोहितों की बस्ती, पटवार हल्का मूढो की
ढाणी तसहील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर

दिनांक - 27.08.25

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 328/2025

दिनांक- 14/08/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मंगलसिंह जालप की ढाणी पटवार हल्का मूढो की ढाणी तहसील
बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 705/620 रकबा 4.3058 हैक्टेयर, व खसरा
संख्या 115 रकबा 8.9678 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी
करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी
कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक
तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग
द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की
जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है,
जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

दिनांक- 27.08.25

क्रमांक :- रीडर/2025/7022-25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मूढो की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्राथी सवाईसिंह पुत्र सगतसिंह जातियान राजपूत निवासी राजपूत निवासी मंगलसिंह जालप की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण पुजराजसिंह पुत्र जेठमालसिंह जाति राजपूत निवासी पुरोहितों की बस्ती, पटवार हल्का मूढो की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।



उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर